भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4542
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई में खाद्य सुरक्षा मानक

4542. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में एक वर्ष में कितनी बार जांच की जाती है;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान घटिया खाद्य गुणवत्ता के कारण काली सूची में डाले गए उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की ओडिशा के छोटे टू-टियर शहरों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (अर्थात **एफएसएस अधिनियम 2006**) में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और इसे खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है।

एफएसएसएआई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, वे पूरे वर्ष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खाद्य व्यवसायों के बीच एकरूपता बनाए रखते हुए खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और रेंडम सेंपलिंग करते हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में किए गए निरीक्षण का डेटा **अनुबंध- I** में दिया गया है। गैर-अनुरूपता पाए जाने की स्थिति में, एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न गैर-अनुरूपताओं के कारण रद्द किए गए लाइसेंस और पंजीकरण का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार ओडिशा सहित पूरे देश में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालांकि, मंत्रालय देश भर में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं (एफपीआई की स्थापना सहित) के लिए पात्र प्रमोटरों/लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें ओडिशा भी शामिल है। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं मांग आधारित प्रकृति की हैं और पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ओडिशा में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं (एफपीआई की स्थापना सहित) के लिए एमओएफपीआई की विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है ।

(घ): एफएसएसएआई के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) सहित प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण की शर्तों के अनुसार, एफबीओ को खाद्य प्रसंस्करण कारखाने के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों तथा कर्मचारी की स्वच्छता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियमन, 2011 की अनुसूची-4 में निर्दिष्ट अनुसार बनाए रखना होगा।

******

अनुबंध-I और II

"एफपीआई में खाद्य सुरक्षा मानक" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 27 मार्च 2025 को उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 4542 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I और II

अनुबंध- I

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षणों का डेटा:

वर्ष	**किया गया कुल निरीक्षण**
2022-23	287174
2023-24	356750
2024-25 (अब तक)	384477

अनुबंध- II

पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न गैर-अनुरूपताओं (मिलावट सहित) के कारण रद्द किए गए लाइसेंस और पंजीकरण का विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2023-24 में रद्द किए गए लाइसेंस और पंजीकरण**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0
आंध्र प्रदेश	55
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	10
बिहार	11
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ	18
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	0
दिल्ली	5
गोवा	14
गुजरात	40
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	12
जम्मू और कश्मीर	24
झारखंड	5
कर्नाटक	149
केरल	102
लद्दाख	1
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	50
महाराष्ट्र	24
मणिपुर	4
मेघालय	4
मिजोरम	0
नागालैंड	3
ओडिशा	45
पुदुचेरी	0
पंजाब	1
राजस्थान	20
सिक्किम	0
तमिलनाडु	202
तेलंगाना	43
त्रिपुरा	0
उत्तराखंड	23
उत्तर प्रदेश	143
पश्चिम बंगाल	13
कुल	1033

अनुबंध- III

"एफपीआई में खाद्य सुरक्षा मानक" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 27 मार्च 2025 को उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 4542 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

ओडिशा में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं (एफपीआईएस की स्थापना सहित) के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	पीएमकेएसवाई/पीएमएफएमई/पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का विवरण											
		ओडिशा में						ओडिशा के छोटे टू-टियर शहरों में					
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी अनुदान (करोड़ रुपए में)	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या (करोड़ रुपये में)	परियोजना लागत/ रिपोर्ट किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	अनुदान स्वीकृत (करोड़ रुपए में)	जारी अनुदान (करोड़ रुपए में)	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या
1.	पीएमकेएसवाई * (**केन्द्रीय क्षेत्र**)	28	748.72	206.85	146.43	12	16	शहरवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।					
2.	पीएमएफएमई # (केंद्रीय प्रायोजित)	1957	183.6	54.35	---#	1556	401	188	16.42	4.74	--- #	140	48
3.	PLISFPIs ^ (केन्द्रीय क्षेत्र)	5	201.01	1063.65 ^	304.367	5	प्रचालनरत	शहरवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।					

*** पीएमकेएसवाई – प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना । इस योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिए उद्यमियों को क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है।**

 # पीएमएफएफई- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना । इस योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि पीएमएफएफई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसलिए अनुदान की वास्तविक रिलीज राज्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार, मंत्रालय वास्तविक रिलीज के बारे में डेटा नहीं रखता है।

^ पीएलआईएसएफपीआई- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत, वित्तीय प्रोत्साहन की गणना अनुमोदित उत्पाद खंडों में वृद्धिशील बिक्री के आधार पर की जाती है जिसे संबंधित प्रोत्साहन दर से गुणा किया जाता है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन का भुगतान वर्ष 2026-27 तक समाप्त होने वाले छह वर्षों के लिए किया जाता है।

******